

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-आई/1482534/2026/8-3099/278/2026
लखनऊ: दिनांक: 01 अक्टूबर 2026

सूचना

चूंकि राज्य सरकार, गोरखपुर विकास क्षेत्रान्तर्गत, गोरखपुर महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) में संशोधन जैसा कि नीचे अनुसूची में अंकित है, करना चाहती है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित अधिनियम)-1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुन अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना जन सामान्य से प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपत्तियां एवं सुझाव उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को संबोधित और लिखित रूप से 03 प्रतियों में प्रेषित किए जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्राप्त होंगे।

अनुसूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	गोरखपुर महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के अनुसार भू उपयोग	प्रस्तावित भू-उपयोग
1	ग्राम-सोनबरसा, तप्पा-मराछी चन्दौर, जिला-गोरखपुर।	प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा बन्धा मार्ग (चिलुआ ताल के उत्तर में नौतनवा रेलवे लाईन से प्रारम्भ होकर प्रस्तावित "सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधायें" भू-उपयोग के अन्त तक)	विद्यमान तटबन्ध एवं सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधायें जिला-गोरखपुर।

(पी० गुरुप्रसाद)
प्रमुख सचिव